महत्वपूर्ण एवं खास

पंचायत चुनाव नामांकन के तीसरे दिन 726 लोगों ने भरा फार्म

» अब तक प्राप्त हुए कुल 1279 नामांकन

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु आज विभिन्न पंचायत पदों के लिए कुल 726 लोगों ने नामांकन भरा। जिसमें जनपद पंचायत सदस्य के लिए 15, सरपंच के लिए 95 व पंच के लिए 616 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य के लिए आज किसी ने फार्म नहीं भरा। इस प्रकार अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 01, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 22, सरपंच के लिए 155 व पंच के लिए 1101 लोग अपना नामांकन दाखिल कर चुके है। अब तक कुल नामांकन की संख्या 1279 है।

शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन रायपुर ने आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 के लिए अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया है। सभी शासकीय,अर्ध्दशासकीय, केन्द्रीय कार्यालय एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख और नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।

निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक शासकीय विश्राम गृहों में ठहरना प्रतिबंधित

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्वाचन समाप्ति तक राजनैतिक दल के सदस्य शासकीय अथवा अर्ध्दशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते है, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार उपरोक्त प्रतिबंध के तहत कक्ष आबंटित किये जा सकते है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण रायपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

आईटीआई कोनी में कैम्पस इंटरव्यू 7 को

बिलासपुर (आरएनएस)। शासकीय एवं प्राईवेट आईटीआई में डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, वेल्डर, टूल एण्ड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई आटोमोबाईल, ट्रैक्टर मैकेनिक, विद्युतकार एवं पेन्टर जनरल व्यवसाय के सत्र 2015 से सत्र 2018 तक के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने दसवीं में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच है। उनके लिये हंसलपुर प्लांट बेचराजी एफ्टीसी स्कीम रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया द्वारा कैम्पस इण्टरव्यू 7 जनवरी 2020 दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में आयोजन किया जा रहा है। कैम्पस इण्टरव्यू में भाग लेने के लिये उम्मीदवारों को 10वीं, 12वीं की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड या पेन कार्ड की मूलप्रति एवं 3 छायाप्रति, पासपोर्ट साईज फोटो 5 प्रतियां लेकर आना होगा।

सिंधी कॉलोनी में हुई चोरी के मामले में मेरठ के तीन शातिर चोर गिरफ्तार

» गैस चूल्हा रिपेयर/फेरी वाले बनकर घटना को दिए थे अंजाम » आरोपियों से 50 हजार नगद व चोरी की तीन मोबाइल व एक बाईक जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पुलिस द्वारा शहरवासियों के जान, माल की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर किराए में मकान उपलब्ध कराने वाले मकान मालिको को किरायेदारों की जानकारी निकटतम पुलिस थाना/चौकी में दिए जाने हेतु हिदायत दिया जाता है किंतु गैर जिम्मेदार मकान मालिकों द्वारा बगैर जांच पड़ताल किए मकान किराए पर उपलब्ध करा दिया जाता है जिससे कई बार अपराधिक किस्म के व्यक्ति इसका फायदा उठाकर शहर में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की पहुंच से दूर चले जाते हैं।

ऐसी ही एक घटना थाना चक्रधरनगर क्षेत्रान्तर्गत घटित हुई है। दिनांक 29.12.2019 की दोपहर सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली चक्रधरनगर में रहने वाले अशोक पंजाबी दोपहर करीब 02:00 बजे अपने मकान में ताला बंद कर ड्यूटी चला गया था। उसकी अनुपस्थिति में दिन के समय अज्ञात व्यक्ति घर अंदर प्रवेश कर अलमारी से 60,000 रूपये नगद व घर में रखे 3 मोबाइल चोरी कर ले गया था। अशोक पंजाबी अपने ड्यूटी से रात्रि करीब 08:00 बजे वापस आने पर घटना की जानकारी हुई।

शहर के मुख्य कालोनियों में से एक सिंधी कॉलोनी में हुई घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर एवं थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले को शीघ्र आरोपियों कि पतासाजी कर शत-प्रतिशत माल मशरूका की बरामदगी करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी चक्रधरनगर को घटना की सूचना मिलते ही अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचकर मौके का मुआयना किये और आसपास के रहवासियों से पूछताछ किये तो जानकारी मिली थी कि दो-तीन दिन से ऐसे फेरी वाले जो गैस सुधारने का काम करते है लगातार आ रहे हैं। दिन में हुई इस चोरी की इस घटना ने पुलिस का ध्यान भी फेरीवालों की ओर खींचा। तब थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा थाने के पेट्रोलिंग पार्टी तथा स्टाफ को थाना क्षेत्र में घूम रहे फेरीवालों को तलब करने के निर्देश दिए। स्टाफ ने मेरठ उत्तर प्रदेश के तीन संदिग्ध 1- इरशाद मोहम्मद पिता हसमत मोहम्मद उम्र 35 साल निवासी साजामाल थाना किठोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश 2- जान मोहम्मद पिता शेर मोहम्मद उम्र 30 वर्ष निवासी साहजवाल किठोड़ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश 3- मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद जमीर उम्र 28 वर्ष निवासी साजामाल थाना किठोड़ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को पकड़कर थाने लाये जिनसे कड़ी पूछताछ की गई। तीनो ने दिनांक 20-21.12.19 को रायगढ़ आना और चक्रधरनगर क्षेत्र में गैस रिपेयर करने वाले बनकर सुने मकानों की रेकी कर चोरी की इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किये। तीनों आरोपियों से खर्च के बाद बचे चोरी की रकम 50,000 रूपये एवं तीन चोरी की हुई मोबाईल व घटना में प्रयुक्त बाईक यूपी 14 बीयू- 0445 को जप्त किया गया है। तीनों आरोपियों को मकान उपलब्ध कराने वाले मकान मालिक को थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा नोटिस द्वारा गया है। घटना के सबंध थाना चक्रधरनगर में दिनांक 31.12.19 को दर्ज अप.क्र. 462/19 धारा 454,380 भादंवि में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें शीघ्र न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावेगा।

चोरी के घटना के खुलासे में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, आरक्षक सुशील यादव एवं रवि सिंह की अहम भूमिका रही है।

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

» 6 लोगों से करीब 31 लाख रुपए लेकर घूमा रहा था, अपराध दर्ज होने पर हुआ था फरार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सिटी कोतवाली रायगढ में दिनांक 06-08-2019 को आवेदकगण 1. नारायण पटेल धनागर, रायगढ 2. दीपक गिरी गोस्वामी राजीवनगर, रायगढ 3. विकास सिंह कोतरारोड, रायगढ 4. सौरभ पटेल डभरा, जिला जांजगीर चांपा 5. पकंज यादव पलौद, रायपुर 6. प्रकाश पटेल महासमुंद द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि जिला कार्यालय के राजस्व शाखा में सहायक ग्रेड-3 के पद पर परिविक्षा अवधि में पदस्थ संदीप कुमार श्रृंगी पिता राजेन्द्र श्रृंगी उम्र 34 साल निवासी मिट्ठूमुडा चौकी जुटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ इन लोगों द्वारा शासकीय नौकरी के लिए परीक्षा दिलाये जाने के बाद इनसे संपर्क किया और बताया कि मेरी पहुच मंत्रालय तक है मैं तुम्हें नौकरी लगवा सकता हू इसके एवज में तुम्हे कुछ रूपये खर्च करने होगें। तब उसकी बातों पर विश्वास करते हुए संदीप कुमार श्रृंगी को सभी ने एडवांस में रूपये दे दिये है और वे इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया जिसे पाकर ज्वाईनिंग देने गये तब पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है क्योंकि इनकी पदस्थापना विभाग में हुई ही नही थी। आरोपी ने सभी से करीब 31 लाख रूपये वसूल कर लिया था। जब इनके द्वारा संदीप कुमार श्रृंगी से अपने रूपए वापस करने की मांग किये तो भी उन्हें गुमराह कर बोला कि तुम्हारी नौकरी लगेगी उसका जिम्मेदार मेरी है और रूपये नहीं लौटाकर घूमा रहा था। परेशान आवेदकगण द्वारा इसकी शिकायत आवेदन देकर थाना कोतवाली में करने पर अप.क्र.590/19 धारा 420 भादवि का अपराध संदीप कुमार श्रृंगी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अपराध पंजीबद्ध होने के बाद गिरफ्तारी के भय से अपना ठिकाना लगातार बदल रहा था जिसे दिनांक 01.01.2020 को कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नववर्ष की शुरूवात शहीद के परिजनों का सम्मान के साथ

न्याय साक्षी/रायगढ़। सरिया पुलिस द्वारा नववर्ष की शुरूवात बरमकेला थानाक्षेत्र के ग्राम संडा में रहने वाले शहीद आरक्षक सुभाष बेहरा के परिजनों का कुशल-क्षेम लेकर किया गया। आज दिनांक 01.01.2020 को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अशीष वासनिक अपने स्टाफ के साथ ग्राम संडा अमर शहीद सुभाष बेहरा के घर जाकर परिजनों से मिलकर उनका कुशल मंगल पूछा गया। टी.आई. वासनिक द्वारा शहीद के परिजनों को ससम्मान शाल व श्रीफल भेंट कर जिला पुलिस की ओर से कृतज्ञता जाहिर किए व उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दिये। थाने के स्टाफ द्वारा शहीद सुभाष बेहरा के भतीजे से उनके घर पर केक कटवाये। इस दौरान शहीद सुभाष बेहरा की मां, बडे भैया, भाभी व भतीजी-भतीजा एवं थाना सरिया के आरक्षक श्याम प्रधान, भोजराम नट एवं महिला आरक्षक कौशल्या पटेल मौजूद थी।

दो बाईक आपस में टकराये घायलों को डायल 112 ने अस्पताल पहुंचाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। तेज रफ्तार दो बाइक आमने-सामने टकराई, रोड़ एक्सीडेंट का इवेंट - दिनांक 31.12.2019 की रात्रि लुधिया पेट्रोल पंप के पास दो तेज रफ्तार मोटर साइकल के बीच आमने-सामने टकराने से तीन युवक घायल हो गये थे जिसमें दो युवकों के हाथ में फैक्चर है। दिनांक 31.12.19 की रात्रि 19:00 बजे बरमकेला राइनो को लुधिया पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना के इवेंट पर रवाना किया गया था। मौके पर आरक्षक हेमलाल चौहान, आरक्षक कृष्ण डनसेना ईआरव्ही वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। एक मोटरसाइकिल पर सवार बद्रीनाथ बरिहा पिता कन्हैयालाल बरिहा उम्र 22 साल निवासी मारोदरहा तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार किशन चौहान पिता मायाराम चौहान उम्र 22 साल निवासी पटियापाली एवं बब्लू बरिया पिता देव कुमार बरिया 22 साल निवासी पटियापाली को चोटे आई थी। आहत किशन चौहान और बब्लू बरिया के हाथ में फैक्चर है तथा बद्रीनाथ बरिहा को सामान्य चोटे आई है। आहतो को डायल 112 स्टाफ द्वारा इलाज के लिए सीएचसी बरमकेला में भर्ती कराया गया है।

रायगढ़ स्टेडियम में सॉफ्टबाल का नेशनल कैम्प आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ स्टेडियम में सब-जूनियर नेशनल सॉफ्टबाल चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय चयन ट्रायल गत दिवस 28 दिसम्बर 2019 को आयोजित किया गया।

जिसमें प्रदेश के 12 जिले से 100 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन ट्रायल के बाद 18 बालक एवं 18 बालिकाओं को नेशनल चैम्पियनशिप हेतु चयनित कर उनका प्रशिक्षण शिविर 29 दिसम्बर से 2 जनवरी 2020 तक रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सॉफ्टबाल का दल 3 जनवरी को रायपुर से कटक (उड़ीसा) के लिए रवाना होगा, जहां वे 5 से 9 जनवरी 2020 तक सब-जूनियर नेशनल सॉफ्टबाल चैम्पियनशिप में भाग लेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक संजय पॉल तथा विभाग में पदस्थ प्रदीप साहू जो कि सॉफ्टबाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी है, के द्वारा यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। उनके द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में सॉफ्टबाल का निरंतर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इच्छुक खिलाड़ी, अभिभावक स्टेडियम में आकर या प्रदीप साहू के मोबाईल नंबर 99936-44778 पर संपर्क कर सकते है।

शीतलहर से बचाव के लिए की जा रही है अलाव की व्यवस्था

» ठंड से राहत के लिए रैन बसेरों में गद्दे व कंबल भी उपलब्ध

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने शीतलहर से लोगों के बचाव के लिए जिले के नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने के व्यवस्था के निर्देश दिए है। जिसके तहत रायगढ़ शहर के विभिन्न इलाको में अलाव की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। निगम क्षेत्र में जिला चिकित्सालय के समीप, गौरीशंकर मंदिर चौक, पैलेस रोड भक्ति गली, चांदनी चौक, गांजा चौक, केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड, ऑटो स्टैण्ड, केवड़ा बाड़ी रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन, बूजी भवन चौक में अलाव जलाने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर व केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड में दो रैन बसेरे भी संचालित है जहां लोगों के ठंड से बचाव व विश्राम के लिए गद्दे व कंबल उपलब्ध करवाये गये है। नगर पंचायत बरमकेला व सरिया सहित अन्य नगरीय निकायों के सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाये जा रहे है, ताकि लोग ठंड से बच सके। शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व झुग्गी-झोपड़ी व खुले स्थानों में निवास करने वाले लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए उक्त व्यवस्थाएं की जा रही है।

50 लिटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, बरमकेला पुलिस की कार्यवाही

» आरोपी ग्राम कलगाटार घुटकुरी पहाड जंगल में अवैध बिक्री के लिये छिपा कर रखा था शराब

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरमकेला थाना प्रभारी निरीक्षक डी. के. मारकण्डे के नेतृत्व में दिनांक 01/01/2020 को सहायक उपनिरीक्षक विजय गोपाल एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर सुबह करीब 10:00 बजे ग्राम कलगाटार के घुटकुरी पहाड जंगल में पहाड के पीछे झाडियों में आरोपी बलराम बरिहा पिता किरला बरिहा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कलगाटार द्वारा 15-15 लिटर के जरकिन में छिपाकर रखें, 50 लिटर कच्ची हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमती करीबन 10,000 रूपए) को जप्त किया गया है।

आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में अपक्र 01/2020 धारा 34(1)क (2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480